



1. डॉ राकेश प्रताप शाही
2. अर्चिता सिंह

निजी औद्योगिक प्रतिष्ठानों में कार्यरत दैनिक महिला मजदूरों की सामाजिक आर्थिक एवं कार्य की दशाओं सम्बन्धी समस्याएँ: एक समाजशास्त्रीय अध्ययन
1. आचार्य, 2. शोध अध्येत्री— समाजशास्त्र विभाग, श्री भगवान महावीर पीठीजोड़ कालेज, फजिलनगर, कुशीनगर (उत्तरप्रदेश), भारत

Received-25.06.2022, Revised-27.06.2022, Accepted-30.06.2022 E-mail: aaryavart2013@gmail.com

सारांश:— आधार पीठिका — सर्वप्रथम हमने प्रतिदर्श के लिए चयनित महिला मजदूरों की सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि का विश्लेषण किया। समाज में व्यक्ति की सहभागिता समस्याओं के प्रति दृष्टिकोण विचार शैली, व्यवहार का मानक तथा सामाजिक स्वीकृत सभी कुछ उसकी सामाजिक-आर्थिक पृष्ठभूमि द्वारा निर्धारित होता है। जाति, शिक्षा, आयु, धर्म, परिवार, निवास, लिंग, विवाह इत्यादि कारक समन्वित रूप से व्यक्ति की सामाजिक पृष्ठभूमि को निर्धारित करते हैं, तो आजीविका का साधन व्यवसाय यिनियोजन की प्रकृति तथा व्यय पद्धति इत्यादि उसकी आर्थिक पृष्ठभूमि को निर्धारित करते हैं। भारत जैसे देश में जाति व्यक्ति की सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, राजनीतिक, पारिवारिक और वैयक्तिक क्रियाविधि को गम्भीर रूप से प्रभावित करती हैं शिक्षा व्यक्ति के ज्ञान को परिष्कृत करता है, व्यवसाय आर्थिक स्थिति का निर्धारण करता है आयु व्यवहारिक अनुभव प्रदान करने के क्रम में व्यक्ति को उत्तरदायी बनाती है। मानव के व्यक्तित्व संरचना और उसकी सामाजिक, आर्थिक पृष्ठभूमि का भी सुख्य योगदान होता है। विचार, व्याख्यान, प्रस्ताव एवं विचारों की व्यवस्था उनके प्रत्यक्ष मूल्य के आधार पर नहीं लिए जाते बल्कि उनको व्यक्त करने वाले के जीवन के परिप्रेक्ष्य में उनकी व्याख्या की जाती है।

शुंजीमूल सम्बन्ध— सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि, समुदायिता, विचार शैली, व्यवहार, जाति, शिक्षा, आयु, धर्म, परिवार, निवास।

एक मनुष्य का सामाजिक आर्थिक स्तर अनेक समाज के साथ अन्तःक्रिया के तरीके को प्रभावित करता है। प्रसिद्ध समाजशास्त्री एओआर. देसाई का विचार है कि किसी समुदाय के सदस्यों के विचार तथा व्यवहार को जानने—समझाने के लिए उस समुदाय के सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि का ज्ञान एक पूर्वशर्त या धारणा है। वैसे तो यह सभी मानव समुदाय के लिए अतिआवश्यक है लेकिन उसका महत्व ग्रामीण समुदायों के परिप्रेक्ष्य में और बढ़ जाता है। इसका कारण है कि वे संरचना में बहुत ही ज्यादा परम्परावादी होते हैं। जो समुदाय परम्परागत होते हैं उन समुदाय में परम्पराओं का पालन सख्ती से किया जाता है और परिवार तथा जाति दोनों व्यक्ति के जीवन निर्धारण में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करते हैं।

पूर्व अनुसंधान की समीक्षा— डिसूजा (1975) के अवलोकन में महिला मजदूरों की आर्थिक कठिनाइयों का विश्लेषण हुआ है। गुलाटी (1979) ने श्रमजीवी महिला श्रमिकों की सामाजिक एवं आर्थिक दशाओं का विवेचन किया। चक्रवर्ती और तिवारी ने बिहार, परिचम बंगाल और तमिलनाडु राज्यों में 1970 में किये गये अध्ययन के आधार पर यह प्रकट किया गया है कि पारिवारिक आय में महिलाएं अपना सहयोग प्रमुखता से देती हैं, लेकिन अपने आय पर उनका अधिकार नहीं होता है। सिन्हा मंजूलता (1994) ने कलकत्ता शहर के अलीपुर क्षेत्र में ईट उद्योगों में कार्यरत महिला श्रमिकों के नियोजन प्रतिमान तथा सेवा प्रतिबन्धों का अवलोकन किया और यह देखा कि इस कार्य प्रणाली में जो भी महिलाएं कार्य कर रही हैं वह दूसरे जगह के हैं तथा कार्यकर्ताओं के जरिये से वर्तमान व्यवसाय प्राप्त होने का समर्थन करती है। महिला श्रमिक वर्ग अपने हक तथा सुविधाओं के प्रति सचेत नहीं हैं एवं कार्य की दशाएं बहुत ही बदतर हैं और नियोजक वर्ग उनके साथ अन्याय भी करते हैं।

अध्ययन के उद्देश्य —

1. निजी औद्योगिक प्रतिष्ठानों में कार्यरत दैनिक महिला मजदूरों के पारिवारिक एवं सामाजिक जीवन पर पड़ने वाले प्रभावों का समाजशास्त्रीय अध्ययन करना है।
2. दैनिक महिला मजदूरों के कार्य की दशाओं एवं परिस्थितियों का मूल्यांकन करना है जिसका प्रभाव महिला मजदूरों की कार्य क्षमता और स्वास्थ्य पर पड़ता है।

उपकल्पना—

1. इन समस्याओं के मूल में इनके कार्य की प्रवृत्ति निहित है, जिसमें इनकी आय बहुत कम होती है।
2. निजी औद्योगिक ईकाइयों में कार्यरत दैनिक महिला मजदूरों के स्वास्थ्य पर कार्य की दशाओं का विपरीत प्रभाव पड़ता है।

शोध प्रविधि एवं अध्ययन समग्र— प्रस्तुत शोध वर्णनात्मक (सर्वेक्षण) शोध प्रविधि पर आधारित है प्रस्तावित शोध कार्य के अध्ययन क्षेत्र का चयन उद्देश्यपूर्ण निर्दर्शन के द्वारा किया गया है। जो पूर्वाचल का विकासोन्मुख नगर गोरखपुर का औद्योगिक विकास प्राधिकरण (गीडा) है। यह क्षेत्र गोरखपुर शहर से मात्र 3 किमी 0 दूरी से राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 28 पर नौसढ़ से भीटी रावत तक लगभग 20 किमी 0 लम्बाई में कुल 76 राजस्व ग्रामों के परिप्रेक्ष्य में है। सम्पूर्ण महायोजना 23 विभिन्न सेक्टरों में विभक्त है। जिसमें 7 औद्योगिक 14 आवासीय एवं 1 व्यावसायिक सेक्टर एवं 1 सेक्टर मिश्रित उपयोग हेतु प्राविधानित है। गीडा क्षेत्र में स्थित समीपवर्ती सहजनवां रेलवे स्टेशन सम्मति विकसित औद्योगिक क्षेत्र सेक्टर 13 एवं 15 से मात्र 3 किमी 0 दूर है।



चूंकि उत्तर प्रदेश का गोरखपुर जनपद काफी बड़ा है, जिसमें स्थित औद्योगिक विकास प्राधिकरण (गीड़ा) क्षेत्र भी काफी बड़ा है। इसके अन्तर्गत कुल उत्पादनरत् औद्योगिक इकाईयों की संख्या 266 है। जिनमें प्रत्यक्ष सूचित सृजित रोजगार लगभग 5000 है जिनमें कुछ दैनिक महिला मजदूरों की भी संख्या है। अतः इतने विशाल औद्योगिक क्षेत्र एवं कार्यरत सभी महिला मजदूरों का अध्ययन शोध की गुणवत्ता व अपने समय एवं संसाधनों को दृष्टिगत रखते सम्बव नहीं है।

अतः समय और साधनों को दृष्टिगत रखते हुए सोशैश्य या सुविचार निदर्शन के आधार पर कुल कम्पनियों का 20 प्रतिशत तथा प्रत्येक कम्पनी में कार्यरत कुल महिला मजदूरों के 20 प्रतिशत मजदूरों का चयन होना है।

उपलब्धियाँ— प्रस्तुत अध्ययन में गीड़ा के निजी औद्योगिक इकाईयों में कार्यरत दैनिक महिला मजदूरों की सामाजिक, आर्थिक एवं कार्य की दशाओं सम्बन्धी समस्याओं का विश्लेषण किया गया है।

महिला श्रमिकों की जातिगत संरचना— सम्पूर्ण भारत समाज अनेकानेक जातियों में विभाजित है। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा मण्डल आयोग की संस्तुति की अनुमति के बाद वैधानिक आधार पर कुछ जातियों को पिछड़ा मानकर आरक्षण दिया जा रहा है।

यद्यपि वर्ग की अवधारणा पूरी तरह से आर्थिक होती है लेकिन भारतीय सर्वोच्च न्यायालय ने सामाजिक पिछड़ेपन के आधार पर वर्गों की न्यायिक रजामंदी दी है। उसी आधार पर अध्ययन क्षेत्र गीड़ा के दैनिक महिला मजदूरों को सामान्य अन्य पिछड़ा वर्ग तथा अनुसूचित जाति वर्ग के आधार पर प्रदर्शित किया गया है वर्ग समाज का ऐसा भाग होता है जिसके सदस्यों की कुछ विशेषता और सामान्य सामाजिक स्थितियाँ तथा कार्य होते हैं जिसके आधार पर उनमें जागरूकता विकसित हो जाती है कि वे समाज के दूसरे समूहों से अलग हैं।

सारिणी संख्या – 1 जातीय आधार पर महिला मजदूरों का वर्गीकरण

जाति	संख्या	प्रतिशत
सामान्य वर्ग	30	13.15
अन्य पिछड़ा वर्ग	180	78.94
अनुसूचित जातीयों	48	21.05
कुल	228	100

सारिणी संख्या—1 देखने से यह स्पष्ट होता है कि 228 महिला उत्तरदाताओं में से सामान्य, पिछड़े और अनुसूचित जाति के क्रमशः 30, 180, 48 महिला उत्तरदाता हैं जिनका प्रतिशत क्रमशः 13.15, 78.94, 21.05 प्रतिशत है। अतः उपर्युक्त सारिणी से स्पष्ट होता है कि पिछड़े वर्ग के उत्तरदाता सर्वाधिक हैं तथा सामान्य वर्ग के सबसे कम हैं।

उत्तरदाता दैनिक महिला मजदूरों का शैक्षणिक स्तर— प्लेटो ने शिक्षा का उद्देश्य शरीर और आत्मा की पूर्णता, स्पेन्सर ने पूर्ण जीवन व्यतीत करने की तैयारी, जॉन डीवी ने गत्यात्मक अनुकूलन मन का सृजन तथा गांधी जी ने शरीर और आत्मा का विकास माना है।

सारिणी संख्या – 2 शिक्षा के आधार पर महिला मजदूरों का वर्गीकरण

शिक्षा	संख्या	प्रतिशत
अशिक्षित	25	10.96
प्राथमिक	33	14.47
जूनियर	60	26.31
हाईस्कूल	54	23.68
इण्टर	46	20.17
स्नातक	6	2.63
प्रास्नातक	4	1.75
अन्य	0	0
कुल	228	100

सारिणी संख्या—2 देखने से यह ज्ञात होता है कि 25 महिला मजदूर अशिक्षित हैं तो 33 ने केवल प्राथमिक शिक्षा ली है 160 महिला मजदूर जूनियर पास है तथा 54 ने हाईस्कूल पास किया हुआ है और 46 इण्टर 6 स्नातक, 4 प्रास्नातक है प्रतिशत के तौर पर देखें तो 10.96 प्रतिशत महिला मजदूर अशिक्षित है 14.47 प्रतिशत प्राथमिक, 26.31 प्रतिशत जूनियर, 23.68 प्रतिशत हाईस्कूल, 20.17 प्रतिशत इण्टर, स्नातक 2.63 प्रतिशत तथा 1.75 प्रतिशत प्रास्नातक उचीर्ण है। सर्वाधिक महिला मजदूर 26.31 प्रतिशत जूनियर तक शिक्षा प्राप्त की है सबसे कम 1.75 प्रतिशत मजदूर प्रास्नातक तक शिक्षा ग्रहण की है।

उत्तरदाता दैनिक महिला मजदूरों की आय सम्बन्धी विवरण— गीड़ा में कार्यरत दैनिक महिला मजदूरों की आय उद्योग के मालिक के ऊपर निर्भर करता है अधिकांशतः महिलाओं का क्रॉस्ट्रिप्टिक्यूल्युक्सन Reg. No. ALM/56132019/2022



नौकरी भी अस्थाई प्रकृति की है जिसके बजाह से वह मालिक के ऊपर दबाव भी बनाने असमर्थ हैं।

सारिणी संख्या – 3

मजदूरों की मासिक आय

मजदूरों की वर्गीकरण	संख्या	प्रतिशत
अ 1व		
5000 – 6000	15	6.57
6000 – 7000	18	7.89
7000 – 8000	54	23.68
8000 – 9000	65	28.50
9000 – 10000	42	18.42
10000 – 11000	20	8.77
11000 से अधिक	10	4.38
कुल	228	100

उपर्युक्त सारिणी से स्पष्ट होता है कि महिला मजदूरों के वेतन में बहुत ही भिन्नता है 5000 से 6000 तक वेतन पाने वाले मजदूरों की संख्या क्रमशः 15, 6000 से 7000 तक 18, 7000 से 8000 तक 54, 8000 से 9000 तक 65, 9000 से 10000 तक 42, 10000 से 11000 तक 20, 11000 से अधिक 10 है जिसका प्रतिशत क्रमशः 6.57, 7.89, 23.68, 28.50, 18.42, 8.77, 4.38 प्रतिशत है।

सबसे कम वेतन पाने वाली महिला मजदूरों की संख्या 15 तथा सबसे अधिक वेतन प्राप्त करने वाली महिला मजदूरों की संख्या 10 है एवं सबसे अधिक मजदूर 8000 से 9000 के बीच में वेतन प्राप्त करती हैं जिनकी संख्या 65 है।

उत्तरदाता दैनिक महिला मजदूरों की कार्य की दशाओं सम्बन्धी समस्याएँ— वर्तमान समय में जो व्यक्ति कम कमाता है वह अपनी कार्य की दशाओं एवं कार्य की परिस्थितियों से पूरी तरह से संतुष्ट नहीं हो पाते हैं। मनुष्य का स्वभाव है कि वह हमेशा अपनी तुलना अपने से अच्छी परिस्थितियों वाले से करते हैं तथा खुद भी खुश नहीं रहते हैं।

सारिणी संख्या 4 में गीड़ा में कार्यरत उत्तरदाता दैनिक महिला मजदूरों के उत्तर के आधार पर आधारित अवलोकन संख्यात्मक रूप में प्रस्तुत किया गया है।

सारिणी संख्या – 4

उत्तरदाता दैनिक महिला मजदूरों की कार्य की दशाएं

कार्य की दशाएं	संख्या	प्रतिशत
बहुत अच्छी	4	1.75
अच्छी	16	7.01
संतोषजनक	82	35.96
असंतोषजनक	126	55.26
कुल	228	100

उपर्युक्त सारिणी देखने से पता चलता है कि केवल 4 महिला मजदूरों ने अपनी कार्यदशा को बहुत अच्छा माना है तथा 16 महिलाओं ने अपनी कार्यदशा को अच्छा माना है, 82 महिलाएँ अपनी कार्यदशाओं को संतोषजनक माना है एवं सबसे अधिक 126 महिलाएँ अपनी कार्यदशा से संतुष्ट नहीं हैं इनका प्रतिशत क्रमशः 1.75, 7.01, 35.96, 55.26 प्रतिशत है।

उत्तरदाता दैनिक महिला मजदूरों की कार्यस्थल पर उपलब्ध सुविधाओं का विवरण

सारिणी संख्या – 5

उत्तरदाता दैनिक महिला मजदूरों की कार्यस्थल पर उपलब्ध सुविधाओं का विवरण

सुविधाएं	उपलब्ध है		नहीं है		कुल	
	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत
शुद्ध पेयजल	222	97.36	6	2.63	228	100
शीघ्रालय	225	98.68	3	1.31	228	100
विश्रामालय	195	85.52	33	14.47	228	100
प्रदूषणमुक्त कार्यस्थल	15	6.57	213	93.42	228	100
समुचित प्रकाश व्यवस्था	220	96.48	8	3.50	228	100
कैण्टीन	0	0	228	100	228	100
बच्चों के लिए स्कूल	225	98.68	3	1.31	228	100



उपर्युक्त सारिणी से यह स्पष्ट होता है कि 97.36 प्रतिशत महिला को पीने युक्त पानी मिलता है तकरीबन 68.68 महिला मजदूरों का मानना है कि कार्यस्थल पर शौचालय एवं स्नानघर की सुविधा उपलब्ध है 85.52 प्रतिशत महिला उत्तरदाता के कार्य स्थल पर विश्रामालय की सुविधा उपलब्ध है तथा प्रदूषण मुक्त कार्यस्थल के सन्दर्भ में बस 6.57 प्रतिशत महिला उत्तरदाता अपने कार्यस्थल से संतुष्ट है 96.49 प्रतिशत मजदूरों का मानना है कि उनके कार्यस्थल पर प्रकाश की उपर्युक्त व्यवस्था है 98.68 उत्तरदाता मजदूरों ने स्वीकार्य किया है कि कार्यस्थल पर बच्चों के लिए स्कूल की व्यवस्था है।

पूर्वोलिखित व्याख्या से यह साफ-साफ पता चलता है कि ज्यादातर महिला मजदूरों का यह मानना है कि जहाँ पर वह कार्य करती है उस स्थान पर शौचालय, पीने युक्त पानी, प्रकाश, बच्चों के लिए स्कूल की व्यवस्था एवं विश्राम के लिए एक उचित स्थान मौजूद है। इसका मुख्य कारण उनके कार्यस्थल गीड़ की तैयार व्यवस्था हो सकती है क्योंकि एक आधुनिक औद्योगिक स्थान है और यहाँ पर जो कुछ भी निर्माण हुआ है वह मजदूरों के जरूरतों के हिसाब से हुआ है एवं अधिसंरचना की बुनियादी आवश्यकताओं को पूरा कार्यस्थल पर ही किया जाता है इसके बावजूद भी अधिकतर महिला मजदूर अपने कार्य की प्रकृति से खुश नहीं है।

निष्कर्ष- संक्षिप्त में कहे तो गीड़ की दैनिक महिला मजदूरों की आर्थिक, सामाजिक पृष्ठभूमि एवं उनकी कार्यदशाओं से सम्बन्धित सर्वेक्षण के आधार पर कहा जा सकता है कि इसमें अधिकतर महिला मजदूर की पृष्ठभूमि काफी सामान्य है इनकी शैक्षिक रिस्ति भी कुछ ठीक नहीं है। ये आय के निम्न पायदान पर रिस्ति है। इनको वेतन भी कम ही मिलता है इनके कार्यस्थल पर पीने युक्त पानी, आराम करने के लिए विश्रामलय, स्नानागार, शौचालय, बच्चों के लिए स्कूल इत्यादि ये सभी सुविधाएँ हैं इसके बावजूद भी ये अपनी कार्यदशा से संतुष्ट नहीं हैं क्योंकि इनके कार्य की प्रकृति अस्थाई है और ये असुरक्षा के बीच अपना जीवन व्यतीत कर रही हैं।

संदर्भ ग्रन्थ सूची

1. ए0आर0 देसाई (1969), रुरल सोशियोलॉजी, इन इण्डिया, आक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, पृ० 31
2. वही, पृ० 33
3. बी० कुपु स्वामी (1990), समाज मनोविज्ञान, हरियाणा साहित्य अकादमी, पृ० 244-247
4. डिसूजा बी० (1975), "फैमिली स्टेट्स एण्ड फीमेल वर्क, पार्टिसिपेशन सोशल एक्शन, वाल्यूम-25, अंक-3, पृ० 267-76
5. गुलाटी लीला (1979), "फीमेल लेबर इन दी आर्गनाइज्ड सेक्शन, प्रोफाइल आफ ए ब्रिक वर्क, वाल्यूम-14, अंक-13, पृ० 744-752
6. चक्रवर्ती कें एण्ड तिवारी जी०सी० (1977), रीजनल वेरिएशन इन वोमेन्स एम्पलोयमेंट ए केस स्टडी आफ फाइव विलेजेस इन थ्री इण्डियन स्टैटिस्ट्र प्रोग्राम आफ वोमेन्स स्टडिज आई०सी०एस०आर० दिल्ली
7. सिन्हा मंजुलता (1994), 'कण्डिशन आफ दी वोमेन वॉरियर्स इन दी ब्रीक काइन्डस मैन इन इण्डिया, पृ० 59-67
